

14.10.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन चार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं। लिटिगा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अहम-पैरवी' व 'अहम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

